संख्या-132/2026/I/1409121/2026/71-3002(002)/15/2024-03

प्रेषक,

हरीश कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 जुलाई, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत फेज-3 के मेडिकल कालेज, बिजनौर हेतु20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में धनराशि का आवंटन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,बिजनौरकेपत्र संख्या-म0वि0स्व0रा0चि0म0/गैर वेतन मद/2026-27/1092, दिनॉक 08.06.2026का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मेडिकल कालेज, बिजनौरहेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मेंधनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश दिनॉक 17.04.2026 द्वारा फेज-3 के 14 स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0 2071.42 लाख (प्रति मेडिकल कालेज हेतु रू0 517.85 लाख) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें मेडिकल कालेज,बिजनौर भी सम्मिलित है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक '2210-05-105-03-93' फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानितएकमुश्त धनराशि रू0 29000.00 लाख के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार रू0 517.85 लाख **(रू0पॉच करोड़ सत्रहलाख पचासी हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	**मेडिकल कालेज का नाम**	**बजट प्राविधान**	**द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**
1	स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर	2071.42	517.85

नियम व शर्ते / प्रतिबन्ध

1- स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगातथा इसका उपयोग उसी मद में किया

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किन्ही अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानीजायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/20256बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 मेंउल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित - किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत कियाजाना सम्भव नहीं होगा।

5- धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

6- यदि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवमुक्त की गयी धनराशि अवशेष है, तो उसका समायोजन करने के पश्चात ही चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण किया जाये।

4- इस संबंध में होने वाला व्ययरुपये 5,17,85,000(रुपयेपॉच करोड़ सत्रहलाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखाशीर्षक** 2210051050393 फेज-3 के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों का संचालन **मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-35/दस-2026-27, दिनॉक 23 जून, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरीश कुमार)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक,स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बिजनौर।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बिजनौर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हरीश कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।